10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–दतिया निग-1200-I-16.

शिवम सिंह कुशवाह पुत्र श्री बालकृष्ण कुशवाह निवासी– ठंडी सड़क दतिया जिला दतिया (म.प्र.)

.... आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया (म.प्र.)

.... अनावेदक

द्वारा आज दि. 29.9.16 को प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/सी/132/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2016 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया द्वारा आवेदक के प्रकरण में जो आदेश दिनांक 03.09.2016 को पारित किया है वह अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया के न्यायालय में आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 18.04.2016 को इस आशय से प्रस्तुत किया कि क्रेता सियाशरण उर्फ सियाराम कुशवाह पुत्र रामनाथ कुशवाह द्वारा विक्रेता शिवकुवंर पुत्री रामनाथ के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक 7200–एक/2016 निगरानी जिला दतिया

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/12/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प दतिया व्दारा प्र.क्र. 58 सी–132/15–16 में पारित आदेश दिनांक 3–9–2016 के विरूद्व भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। २/ भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 मे मध्य प्रदेश अधिनियम कमांक 30 सन 2017 (भारतीय स्टाम्प म०प्र० संशोधन) अधिनियम 2016 में हुये संशोधन अनुसार कलेक्टर आफ स्टाम्प व्दारा पारित आदेश के विरूद्व प्रथम अपील संभागीय पंजीयक को होगी। अपीलांट इस आदेश की प्रमाणित सहित सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। तद्नुसार निगरानी प्रचलन-योग्य न रहने से समाप्त की जाती है। सदस्य	